न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 9/2022 बउनवानी कुलदीप सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0
निवासी—ब्रहमपुरी मोहल्ला, कोलीयान मंदिर के पास, शहर सवाईमाधोपुर (10)

GCMS No-2022/9 **On line Appeal No-321074059474498**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
08.02.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 4.03.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:— 1- कियोस्क आवंटन श्री राधेश्याम कोली पुत्र देवीलाल कोली को आवंटन का आधार इत्यादि बाबत आवंटन स्वीकृति, नाम स्थान इत्यादि सूचनाऐ चाही गयी थी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2022/557 दिनांक 3.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 4.3.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध नगर परिषद सवाईमाधोपुर से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र तत्समय जरिये पत्रांक 609 दिनांक 30.3.2021 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर को अन्तरित करते हुए अपीलान्ट को भी सूचित किया गया था कि भविष्य मे आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर से सम्पर्क करे। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय से नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.3.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 609 दिनांक 30.3.3021 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर के कार्यालय को अन्तरित करते हुए अपीलान्ट को भी सूचित किया गया था कि उक्त सूचना के लिए आयुक्त नगर परिषद, सवाईमाधोपुर [illegible] कार्यालय से ही सम्पर्क करे। उक्त तथ्यो के अनुसार उपजिला कलेक्टर कार्यालय [illegible] अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट [illegible] किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट [illegible] की जाती है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible] लेख की जावे। आदेश [illegible] न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:11:36 IST
Reason: SelfAttested